राजस्थान सरकार

<u>राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

क्रमांक: राम/भू.अ./ई–3/परीक्षा/प–305/2025/3856-39 दिनांक: 19/02/2026

1– **आयुक्त,**
भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर।

2– **आयुक्त,**
उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।

3– **जिला कलक्टर,**
....।

विषय : पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति हेतु जिला आवंटन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयुपर के पत्र क्रमांक प.14 (144) RSSB/ अर्थना / पटवार / 2024–00637–पार्ट (1)–7369620 दिनांक 31–12–2025 के द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा–2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार ....अभ्यर्थियों की सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है जिनके पदस्थापन हेतु अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन के साथ दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम एवं मेरिट/सवंर्गवार रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर जिलें का आंवटन किया गया है।

इस संबंध में निवेदन है कि आपके जिलें में पटवारियों के रिक्त पदों के विरूद्व नियमानुसार इनके नियुक्ति आदेश दिनांक 23–02–2026 तक जारी कर आदेश की एक प्रति मण्डल में भिजवानें की व्यवस्था करावें।

नियुक्ति के संबंध में निम्न बिन्दुओं को भी मध्यनजर रखा जाना है:–

1. यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस्) रूल्स, 1957 एवं राजस्थान राजस्व (भू–अभिलेख, भू–प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/ निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होगें।
2. आपको आवंटित सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के आपको संलग्न कर दिये जा रहे है, जिसकी जांच/सत्यापन का कार्य चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या–02/2025 दिनांक 20–02–2025 के अनुसार मय

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by M aveer Prasad
Designation : Regi r
Date: 2026.0 :13:49 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No.: 20644312

चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के, दिनांक 25–02–2026 तक अपने स्तर से कर ले।

3. भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22–12–2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्पयूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर योग्यता अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।

4. चयनित अभ्यर्थियों की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप मे नियुक्त कर उनको निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर से प्राप्त संलग्न सूची अनुसार स्थाई एवं अस्थाई पटवार प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक 26–02–2026 को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। समस्त कार्मिकों की कार्यग्रहण दिनांक 26–02–2026 ही रहेगी। इससे पूर्व किसी भी नवचयनित कार्मिक से कार्यग्रहण नहीं करवाया जायें।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार संदत्त होगी। उक्त आवंटित पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन का भुगतान बजट मद 2029–00–103–02–09 के उपमद 01–संवेतन से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है।

6. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर, आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर एवं जिला कलेक्टर अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाईट पर डालें जिससे दूर दराज पर निवास कर रहें अभ्यर्थी वेबसाईट के माध्यम से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकें।

7. जिला मुख्यालय पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने आता है तो उसे तुरन्त एक प्रति उपलब्ध करवाई जायें।

8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें की अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जॉच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थियों को उपलब्ध करावें, जिससे अभ्यर्थी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत कर सकें।

9. अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायें।

10. आपके जिले में आवंटित अभ्यर्थियों के रोल नम्बर की एक प्रति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे भी आवश्यक रूप से प्रकाशित करावें, ताकि समय रहते समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त मण्डल से प्राप्त सूची अनुसार

Validity unknownSignature valid.
Digitally signed by M aveer Prasad
Designation : Regi r
Date: 2026.0 13:49 IST
Reason: Appro

अभ्यर्थियों के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा भी सूचित किया जाने की व्यवस्था करावें।

11. पटवारी भर्ती परीक्षा–2025 में चयनित अभ्यार्थियों के साथ–साथ आपके जिलें में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्त पटवारियों जिन्होंने पूर्व में पटवार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, का प्रशिक्षण भी पटवार प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाना सुनिश्चित करावें।

12. राजस्व विभाग एवं उप–निवेशन विभाग के पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी। भू–प्रबन्ध विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही भू–प्रबन्ध विभाग, जयपुर से स्तर से की जानी है।

13. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। **यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा मे उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं स्थाई नही की जायेगी एवं उसका नियमितीकरण भी नहीं किया जायेगा।**

14. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

15. आपके जिले को आवंटित किये गये अभ्यर्थियों मे से यदि कोई अभ्यर्थी दिनांक 24–03–2026 तक उपस्थित ना हो तो उसकी संवर्गवार रिक्त पदों की सूचना मण्डल को अविलम्ब भिजवावें, ताकि शेष रहें आपके जिले के पदों को समय पर भरा जा सकें। उक्त दिनांक तक अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का नियुक्ति एक माह बाद निरस्त किया जाना है।

संलग्नः

1. मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेज।
2. आवंटित अभ्यार्थियों की सूची मय सॉफ्ट कॉपी।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by M aveer Prasad
Designation : Regi r
Date: 2026.0 :13:49 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No.:
20644312

क्रमांकःसम/ 3901 – 13 दिनांकः 19/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

2– शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।

3– संभागीय आयुक्त (समस्त)।

4– सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयुपर।

5– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1 एवं ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।

6– निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार पटवार प्रशिक्षण की व्यवस्था करावें।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by M aveer Prasad
Designation : Regi r
Date: 2026.0 :13:49 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No.:
20644312